राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राजस्थान)

(पीठासीन अधिकारी :– श्री हवाई सिंह यादव आर. ए. एस.)

प्रकरण संख्या :– 381/2023 निर्णय दिनांक : 09.09.2024

रामसिंह वगै0 बनाम विरेन्द्र वगै0

प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251 (ए) रा0 का0 अधिनियम 1955

1. रामसिंह पुत्र श्री बीरूराम जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
2. बनवारीलाल पुत्र श्री बीरूराम जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
3. अमित कुमार पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
4. विरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
5. सुरेन्द्र सिंह पुत्र श्री रिछपाल सिंह जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं

——— आवेदकगण

बनाम

1. विरेन्द्र पुत्र श्री नोरंगराम जाति जाट निवासी भाटीवाड़ तहसील गुढागौड़जी जिला झुंझुनूं
2. तहसीलदार उदयुपरवाटी/गुढागौड़जी

——— अनावेदकगण

उपस्थित अभिभाषक गण :–

1. श्री यतीश सिंह – आवेदक की ओर से
2. श्री ईश्वर सिंह – अनावेदक संख्या 1 की ओर से

Scanned with OKEN Scanner

पत्रावली पेश हुई। प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार से है कि प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता श्री यतीश सिंह एक प्रार्थना पत्र न्यायालय में इस आशय का पेश किया कि वाके ग्राम भाटीवाड़ पटवार हल्का भाटीवाड़ में हाल भूमि खसरा नं. 353 रकबा 1.19 है0, खसरा नं. 354 रकबा 2.37 है0 स्थित है जो आवेदकगण की खातेदारी भूमि है। इसी प्रकार हाल भूमि खसरा नं. 355 रकबा 1.24 है0 की खातेदारी अनावेक नं. 1 विरेन्द्र के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

आवेदकगण की खातेदारी जमीन हाल खसरा नं. 353, 354 में आने जाने हेतु कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है। खसरा नं. 355 का खातेदार आवेदकगण को आने जाने व कृषि कार्य हेतु चौपहिया वाहन ले जाने हेतु कभी कभी ही स्वीकृति देता है जिससे आवेदकगण को हक तल्फी होती है। आवेदकगण अनावेदक संख्या 1 को रास्ते के लिए बदले में भूमि देने के लिए तैयार है तथा अनावेदक से कई बार इस बाबत निवेदन कर चुका है। इस प्रकार आवेदक ने अपनी खातेदारी जमीन हाल भूमि खसरा नं. 354 व 355 में आने जाने के लिए संलग्न नजरी नक्शा में दर्शित 15 फिट चौड़ा रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने हेतु प्रार्थना पत्र पेश किया है।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 23.07.2019 को दर्ज रजिस्टर कर पक्षकारान को जबाब देही हेतु तलब किया गया तथा जबाब हेतु समुचित अवसर दिये गये। अनावेदक संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री ईश्वर सिंह द्वारा वकालतनामा पेश किया गया तथा जबाब पेश किया गया। तत्पश्चात दिनांक 05.08.2023 को जिलों का पुनर्गठन होने से पत्रावली उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी से स्थानांतरित होकर इस न्यायालय में सुनवाई हेतु प्राप्त हुई। प्रस्तावित रास्ते की रिपोर्ट मंगवाने हेतु तहसीलदार को तहरीर जारी की गई। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट पत्र क्रमांक राजस्व/24/675 दिनांक 11.07.2024 को पेश की। रिपोर्ट पेश होने के बाद दिनांक 13.08.2024 को वकील अनावेदक ने एक प्रार्थना पत्र बाबत रास्ता पूर्वी सीमा के सहारे से देने व रास्ते में आने वाली भूमि के बदले उतनी ही भूमि आवेदकगण से दिलाने बाबत सहमति जाहिर की। उपरोक्त सहमति प्रार्थना पत्र को वकील आवेदकगण ने स्वीकार किया तथा मुताबिक प्रार्थना पत्र रास्ता देने में सहमति जाहिर की। दोनों अधिवक्ताओं की सहमति से न्यायालय मत पर खसरा नं. 355 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे रास्ते में आने वाली भूमि के बदले उतनी ही भूमि दिया जाकर प्रार्थपत्र प्रार्थीगण स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। लिहाजा :-

उपखण्ड अधिकारी

—: आदेश :—

आवेदक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 251 ए के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आवेदकगण के खेत खसरा नं. 353, 354 में आने जाने के लिए मुताबिक आपसी सहमति पत्र खसरा नं. 355 की पूर्वी सीमा के सहारे सहारे 15 फिट चौड़ा रास्ता कायम किया जाता है। रास्ते में जितनी भूमि आती है उतनी भूमि आवेदकगण के खेत खसरा नं. 353, 354 की दक्षिणी सीमा के सहारे सहारे दोनों खसरा नंम्बरान में से रकबा कम कर खसरा नं. 355 में जोड़ने के आदेश प्रदान किये जाते हैं। राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्तानुसार अमल दरामद करने बाबत तहसीलदार गुढागौड़जी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 09/09/24 को टंकण करवाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया।

09/09/24

(हवाई सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी झुंझुनूं

Scanned with OKEN Scanner